

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

पंत्राक:—र-20 / च०प्रा०चि०प० / 39 / 2022 / | ५६७
—कार्यालय आदेश—

दिनांक ६ फरवरी, 2022

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम 2009 की धारा 20 व उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम 2014 धारा 17 के माग (ग) की उपधारा 6 के पैरा 8 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी/सरकारी पैरा मेडिकल संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज पैरा मेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2021-22 का वार्षिक निरीक्षण किया जाना एवं निरीक्षोपरान्त उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्न निरीक्षण दल का गठन किया जाना है:-

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 01. | श्री जगदीश चन्द्र भण्डारी, कार्यालय अधीक्षक, उत्तराखण्ड परा—चिकित्सा परिषद | —सदस्य / संयोजक |
| 02. | श्री महेन्द्र भण्डारी, सदस्य उत्तराखण्ड परा—चिकित्सा परिषद देहरादून। | —सदस्य |
| 03. | श्रीमती राधिका, सदस्य उत्तराखण्ड परा—चिकित्सा परिषद देहरादून। | —सदस्य |
| 04. | डा० ज्योति नोटियाल जिला चिकित्सालय देहरादून। | —सदस्य |
| 05. | श्रीमती रुचि, जिला चिकित्सालय देहरादून। | —सदस्य |

क्र०सं०	पैरामेडिकल संस्थान का नाम	आवेदित पाठ्यक्रमों का नाम, सीटों की संख्या	दिनांक	
01	श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज पैरामेडिकल कॉलेज पटेल नगर दहरादून।	बी0एम0एल0टी0 एम0एम0आर0आई0टी0 बी0पी0टी0 बी0एस0सी0 ओप्टोमैट्री0 बी0एम0एम0 एम0एस0सी0एम0एल0टी0 एम0पी0टी0	55 55 55 50 75 20 72	08.02.2022

उपरोक्त निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थान के भवन, फैकल्टी, प्रयोगशाला एवं उपकरणों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त संस्थान को सत्र 2021-22 तक समर्यानुसार मान्यता पत्र निर्गत किये जा सके।

भवदीय

(मुकेश कुमार राय)

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद् ।

पंत्राक:-र-20 / ज0परा0चिऽप0 / 39 / 2018 /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तदिनांक

- निरीक्षण दल के समर्त सदस्यों को नाम से।
 - प्राचार्य, श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज पैरामेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहसाढ़ान संस्थान में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के सम्बन्धता हेतु परिषद द्वारा निरीक्षण करने हेतु गठित निरीक्षण दल के साथ समन्वय/सहयोग प्रदान करते हुए निरीक्षण कार्यवाही सम्पन्न कराने की अपेक्षा सहित।

(मुकेश कमार राय)

सचिव / रजिस्टार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद् ।

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय—म०स०-०१, लेन नं०-०६, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड, देहरादून—२४८१२१

फोन नं० ०१३५-२५३३६३०, २६६६३३०

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्राक—२-२०/उ०परा०चि०प०/३९/२०१६//३ न०८

दिनांक २७ जनवरी, २०२१

सेवा मे।

प्राचार्य/प्रधानाचार्य

श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल

एण्ड हेल्थ साइसेज पैरामेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून।

विषय— उत्तराखण्ड राज्य में परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 की धारा १७, (६), (आठ) एवं उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुमान-२ के पत्र संख्या-५३७/XXVIII(२)/१३ (परा०) २०१६ दिनांक-२२.०७.२०१६ के क्रम मे श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइसेज पैरामेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून संस्थान को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (वी०एम०एल०टी०-५५ वी०एम०आर०आई०टी०-५५ वी०पी०टी०-५५ वी०एस०सी०ओप्टोमेट्री-५० वी०एम०एम०-७५ एम० एस० सी० एम०एल०टी०-२० एम०पी०टी०-७२) के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी थी। तदक्रम मे संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद कार्यालय मे मान्यता प्राप्त करने हेतु अपने पत्राक—SGRR/PMC/affiliation/2020/8479 दिनांक-०४.०८.२०२० (शैक्षिक सत्र २०१९-२० एवं २०२०-२१) को निम्नलिखित परा चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन किया है—

क्र० सं०	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	मान्यता प्राप्त कुल सीटों की संख्या
०१.	श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइसेज पैरामेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून।	वी०एम०एल०टी० वी०एम०आर०आई०टी० वी०पी०टी० वी०एस०सी०ओप्टोमेट्री वी०एम०एम० एम०एस०सी०एम०एल०टी० एम०पी०टी०	५५ ५५ ५५ ५० ७५ २० ७२

२— कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत संस्थान का भौतिक निरीक्षण करने की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए परिषद की बैठक मे लिए गए निर्णयानुसार आपके द्वारा संस्थान के संम्बन्ध मे उपलब्ध कराये गये दस्तावेज, फोटोग्राफ, विडियोग्राफी और शपथ पत्र के आधार पर उक्त संस्थान को शैक्षणिक सत्र २०१९-२० एवं २०२०-२१ हेतु संस्थान को परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य मे कोई प्रतिकूल तथ्य सज्जान मे आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थाये पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस संम्बन्ध मे नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(मुकेश कुमार राय)

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय—डी—37, सेक्टर—03, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून—248012

फोन सं। 0135-2728330, 2866330

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पंत्रांक—२-२०/उ०परा०चि०प०/०३९/२०१८/।०९५३

दिनांक १५ दिसम्बर, 2018

सेवा मे,

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

श्री गुरु राम राय, आई०एम०एच०एस० पैरा मेडिकल कॉलेज,
पटेल नगर, देहरादून।।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में पैरा मेडिकल संस्थानों में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक—श्री गुरा०रा०पैरा०मेडि०/सम्बद्धता विस्तारण/2016/4735, दिनांक—१८ अप्रैल, 2016, पत्रांक—SGRR/PMC/Govt./2017/5394, दिनांक—०३ जनवरी, 2017 एवं पत्रांक—SGRR/PMC/affiliation/2018/7197, दिनांक—१९ नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर आपके संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तक की मान्यता प्रदान की जाती है। तदानुसार अवगत होना चाहे।

क्र०सं०	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	मान्यता प्राप्त कुल सीटों की संख्या
01.	श्री गुरु राम राय, आई०एम०एच०एस० पैरा मेडिकल कॉलेज, पटेल नगर, देहरादून।।	बी०एम०एल०टी० बी०एम०आर०आई०टी० बी०पी०टी० बी०ओ०टी० बी०एम०एम० एम०एम०एल०टी० एम०पी०टी०	55 55 55 50 75 20 72

भवदीय,

(डॉ० आर०एस० राणा)

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि व नये पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में संचालित पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार की अनापत्ति विस्तरण के प्रकरण पर एतद्वारा सम्यक विचारोपरान्त पैरामेडिकल संस्थानों को उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों के संचालन की चालू शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अनापत्ति निम्न शर्तों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही कुल सीट
1.		2.	3.
1.	सूरजमल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज किशनपुर, किंचा ऊधमसिंह नगर।	बी०एस०सी० एम०एल०टी० बी०एस०सी० आप्टोमैट्री बी०एम०आर०आई०टी०	4. 30 30 25
2.	उत्तरांचल (पी०जी०) कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, सेवला खुर्द, देहरादून।	बी०पी०टी० बी०एस०सी० एम०एल०टी० बी०एस०सी० मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एम०एस०सी० एम०एल०टी० (नया पाठ्यक्रम)	15 30 10 15
3.	डी०पी०एम०आई० काण्डा, पौड़ी गढ़वाल।	बी०एस०सी० एम०एल०टी० (नया पाठ्यक्रम)	22
4.	श्री देवसुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, सुभारती पुरम, कोटडा सन्तूर, आमवाला रोड, देहरादून।	एम०एस०सी० मेडिकल बायोकैमेस्ट्री एम०एस०सी०एम०एम० एम०एस०सी० मेडिकल इनार्टोमी बी०एस०सी०एम०एल०टी० बी०एम०आर०आई०टी० बी०पी०टी० बी०एस०सी०ऑप्टोमैट्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी डिप्लोमा इन ऑप्टोमैट्री	25 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30

h.s

5.	श्री गुरु राम राय, आई०एम०एच०एस० पैरामेडिकल कॉलेज, पटेल नगर, देहरादून।	बी०एम०एल०टी० बी०एम०आर०आई०टी० बी०पी०टी० बी०एस०सी० एम०एम० बी०एस०सी० ऑप्टोमैट्री एम०पी०टी० आर्थो एम०पी०टी० न्यूरो एम०पी०टी० स्पोर्ट्स एम०पी०टी० पीड़िया एम०पी०टी० कार्डिया एम०पी०टी० ऑ॒ब्स गायनी एम०एस०सी० मेडिकल एनाटोमी एम०एस०सी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री एम०एस०सी० मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एम०एस०सी० मेडिकल फिजियोलॉजी	25 25 25 25 30 10 05 05 05 05 05 10 10 10 10 10
----	---	---	--

- 1- निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के समय जिन संस्थानों में कतिपय/आंशिक कमियां पायी गयी तथा उन कमियों को पूर्ण कर लिये जाने के प्रतिबन्ध के साथ अनापत्ति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है, उन संस्थानों के द्वारा कमियों को पूर्ण कर लिये जाने/प्रतिबन्ध पूर्ण कर लिये जाने की सूचना शासन एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को सम्यात्तर्गत उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसकी पुष्टि निदेशालय के निरीक्षण दल द्वारा जांचोपरान्त की जायेगी।
- 2- आदेश निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर पैरामेडिकल संस्थानों के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।
- 3- राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी जो उचित समझे इन संस्थानों का निरीक्षण करायेगी। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती हैं, तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।
- 4- उक्त संस्थान जिनके पास स्वयं का चिकित्सालय है वह अपने द्वारा संचालित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को क्लीनिकल मैट्रियल, अपने टीचिंग चिकित्सालयों की शैयायें आदि की संबद्धता नहीं देंगे, जिससे कि इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों/छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यावसायिक वातावरण बना रहे।
- 5- जिन संस्थानों के पास स्वयं का चिकित्सालय है, वे पाठ्यक्रम संचालन की निर्धारित मानकानुसार संस्थान के निकटतम स्थित चिकित्सालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद ही पाठ्यक्रम संचालन करेंगे।
- 6- यह अनापत्ति शिक्षण सत्र 2016-17 तक के लिये ही मान्य होगी।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किये जाने की बाध्यता होगी।
- 8- संस्थान उतनी ही सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे जितनी सीटों के संचालन की अनापत्ति प्रदान की जा रही है।
- 9- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।

- 10— जिन संस्थानों के पास स्वयं का भवन नहीं है, इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो साल के अन्दर स्वयं का भवन अनिवार्य रूप से बनाना होगा।
- 11— संस्थानों द्वारा शूलक निर्धारण का प्रस्ताव निदेशालय के माध्यम से शासन स्तर पर गठित समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12— उक्त शार्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पुष्टांकन संख्या— ५१७/XXVIII(2)/13(पैरा०) /2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, है०न०ब०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून एवं अन्य संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव मा०मुख्यमंत्री को मा०मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव मा०मंत्री, चिकित्सा शिक्षा को मा०मंत्री जी को संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, चिकित्सा शिक्षा को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सचिव/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित पैरामेडिकल संस्थान उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

 (शिव शंकर मिश्रा)
 अनु सचिव।

प्रेषक,

एस.के. दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 जुलाई, 2005

विषय:- श्री गुरुराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून को बी.एस.सी. रेडियोलॉजी, बी.एस.सी. आध्यलोमोलॉजी एवं बी.एस.सी. (एम.एल.टी.), के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरुराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रति सीट क्रमशः 30-30 पर अनापत्ति निम्न शर्तों के साथ 1 वर्ष के लिये प्रदान की जाती है:-

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यथा- (1)बी.एस.सी. रेडियोलॉजी (2)बी.एस.सी. आध्यलोमोलॉजी (3) बी.एस.सी. (एम.एल.टी) पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति तभी होगी जब संस्था गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर ले तथा अन्य Statutory/संस्था आदि से अनुमति प्राप्त कर लें।
2. उक्त कोर्सेज हेतु प्रशिक्षणार्थियों एवं शाय्या का अनुपात 1 : 1 के अनुसार बना रहना चाहिए। कुल शाय्या में बी.पी.टी. के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिये आर्थो /न्यूरो की एक शाय्या अवश्य होनी चाहिए।
3. संस्था वांछित पाठ्यक्रमों के लिए संकाय तथा उपकरणों का मानक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रवेश तथा सत्र के संचालन से पूर्व व्यवस्थित/पूर्ण करना सुनिश्चित् करेगी।

4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-3301/चि-2-2003-52/2003 दिनांक 21 नवम्बर, 2003 द्वारा वांछित आवस्थापना सुविधाओं हेतु आवश्यक कवर्ड ऐरिया, ओ.पी.डी. ऐरिया एवं हॉस्टल ऐरिया आदि में जो कमी है वह 1 वर्ष में पूरी कर ली जाय।
5. संस्था द्वारा उपरोक्त कोर्सेज के संचालन के पूर्व विश्वविद्यालय के निर्देशों/मानकों के अनुरूप (Faculty) संकाय की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।
6. शासनादेश संख्या-3301/चि-2-2003-52/2003 दिनांक 21 नवम्बर, 2003 द्वारा जारी मानक की शर्तें समय से पूरी कर ली जाय।

2- उक्त संस्था का 1 वर्ष बाद पुनः इसकी व्यवस्थाओं का आंकलन किया जायेगा। तदोपरान्त ही संस्था को दी गयी अनापत्ति जारी रखने अथवा वापस करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3- संस्था द्वारा वांछित आवस्थापना सुविधाओं के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना 1 वर्ष के अन्दर स्वयं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से शासन को दी जायेगी।




भवत्रीय
 (एस.के. दास)
 प्रमुख सचिव

संख्या:1009(1)/XXVIII-2-2005-175/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
2. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल देहरादून।
3. प्रबन्धक, गुरुराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून।
4. एन.आई.सी./गार्ड फाईल।



आज्ञा से,
 (अतर सिंह)
 उप सचिव